रजिस्ट्री सं० डी(डी०)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1979/पौष 1, 1901
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1979/PAUSA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1979

सा०का०नि० 1512.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 (जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 13 में :—

(i) उपनियम 6 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि पूर्वोक्त रूप में किसी वर्ष में किसी काडर में रिक्त स्थानों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस काडर में सीधी भर्ती के कोटा में न भरे गए रिक्त स्थानों को, उस काडर में सहायक श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा ।"

(ii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6-क उप-नियम (6) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक काडर में 30 जून, 1979 को सीधी भर्ती के लिए आरक्षित अधिष्ठायी रिक्तियां, जिन पर उस तारीख तक कोई सीधी भर्ती नहीं की गई हैं, तथा काडर में ऐसी अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या का पचास प्रतिशत, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 1979 के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् उस काडर में सहायकों की श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा ।"

टिप्पण : किसी काडर में, 30 जून, 1979 को सीधी भर्ती के लिए आरक्षित अधिष्ठायी रिक्तियों की संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए, सहायक श्रेणी परीक्षा, 1978 द्वारा भरे जाने के लिए आयोग को सूचित की जा चुकी रिक्तियों को अपवर्तित कर दिया जाएगा ।";

(iii) उप-नियम (7) के परन्तुकों को छोड़कर, उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) किसी काडर में सहायक श्रेणी में अस्थायी रिक्तियों को, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के तत्सम्बन्धी

कार्डर के उक्त श्रेणी खंड के ऐसे अधिकारियों को, अयोग्य होने पर अस्वीकृत कर दिए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर अस्थायी प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष अनुमोदित सेवा कर ली है और जो ज्येष्ठता की सीमा के भीतर आते हैं।"

(iv) उप-नियम (8) में, "उप-नियम (6) और (7) के प्रयोजन के लिए" पद के स्थान पर "उप-नियम (6) के प्रयोजन के लिए" पद रखा जाएगा :—

3. उक्त नियमों की चतुर्थ अनुसूची में "ख सहायक श्रेणी" शीर्ष के नीचे—(i) खण्ड 2-क में, "प्रत्याशित रिक्तियां" शब्दों के स्थान पर "प्रत्याशित अधिष्ठायी रिक्तियां" रखा जाएगा।

(ii) खण्ड 3 में,—

(क) उपखण्ड (3) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी वर्ष में किसी कार्डर में, चयन सूची से, नियम 13 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती की ऐसी रिक्तियों पर, जिनके लिए सीधी भर्ती द्वारा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, श्रेणी में अधिष्ठायी रूप में नियुक्त व्यक्तियों को, सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोटा और चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को ध्यान में लिए बिना, उस वर्ष में अन्तिम सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नीचे, सामूहिक रूप में रखा जाएगा।"

(ख) उपखण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) नियम 13 के उपनियम (6-क) के उपबन्धों के अनुसार अधिष्ठायी रूप में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम में नियत की जाएगी जिस क्रम में उन्हें उस कार्डर में सहायक श्रेणी के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया गया है तथा ऐसे व्यक्ति, उसी कार्डर में सहायक श्रेणी परीक्षा, 1978 द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सामूहिक रूप में ऊपर रखे जाएंगे।"

[सं० 5/26/77-के० से० (1)]

के० बी० नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 15th December, 1979

G.S.R. 1512.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in consultation with the Union Public Service Commission, the President hereby makes the following rules, further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Third Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Central Secretariat Service Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said Rules),—

(i) to sub-rule (6), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided also that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in cadre in any year by direct recruitment as aforesaid, the unfilled vacancies in the direct recruitment quota in that cadre shall be filled by the substantive appointment of persons included in the Select List for the Assistants' Grade in that cadre.";

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6-a). Notwithstanding anything contained in sub-rule (6), the substantive vacancies reserved for direct recruitment as on the 30th June, 1979 in each care, against which no direct recruits have been appointed till that date, plus fifty per cent of the number of such substantive vacancies in the cadre, may be filled by substantive appointments made after the date of commencement of the Central Secretariat Service (Third Amendment) Rules, 1979, of persons included in the Select List for the Assistants' Grade in that cadre.

Note :—For the purpose of calculating the number of substantive vacancies reserved for direct recruitment as on 30th June, 1979 in any cadre, vacancies already reported to the Commission for being filled through the Assistants' Grade Examination, 1978 shall be excluded.";

(iii) for sub-rule (7), excluding the provisos thereof, the following shall be substituted, namely :—

"(7) Temporary vacancies in the Assistants' Grade in any cadre shall be filled by the temporary promotion on the basis of seniority, subject to the rejection of the unfit, of officers of the Upper Division Grade of the corresponding cadre of the Central Secretariat Clerical Service who have rendered not less than five years' approved service in that Grade, and are within the range of seniority.";

(iv) in sub-rule (8), for the expression "For the purpose of sub-rules (6) and (7)", the expression "For the purpose of sub-rule (6)" shall be substituted.

3. In the Fourth Schedule to the said Rules, under the heading "B. Assistants' Grade",—

(i) in clause 2A, for the words "anticipated vacancies", the words "anticipated substantive vacancies" shall be substituted;

(ii) in clause 3—(a) to sub-clause (3), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that persons appointed substantively in accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 13 to the Grade from the Select List in any cadre in any year, against direct recruitment vacancies for which direct recruits are not available, shall be placed en block below the last direct recruit appointed in that year, irrespective of the quotas reserved for direct recruits and persons included in the Select List."

(b) after sub-clause (4), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(5) Persons appointed substantively in accordance with the provisions of sub-rule (6-a) of rule 13 shall be assigned seniority inter-se in the order in which they are included in the Select List for the Assistants' Grade in the cadre and such persons shall be placed en block above the direct recruits of the Assistants' Grade Examination, 1978 appointed in the same cadre."

[No. 5/26/77-CS(I)]

K. B. NAIR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1513.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सिक्युरिटी पेपर मिल (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम सिक्युरिटी पेपर मिल (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियमावली, 1979 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2 सिक्युरिटी पेपर मिल (श्रेणी I तथा श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में, डेपुटी वर्क्स मैनेजर के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए मांगी गई शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक वर्क्स मैनेजर (मोल्ड कवर बनाने का संयंत्र)	1	जी० सी० एस० समूह "ख" राजपत्रित गैर-सचिवीय	840-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	प्रवरण	35 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) टिप्पणी :—आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि भारत में (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) अभ्यार्थियों से प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति की तारीख ही अंतिम तारीख होगी।	अनिवार्य : (1) मेकेनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अथवा फाइन आर्ट्स (एंग्रेविंग) में डिप्लोमा अथवा विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान भी एक विषय हो, में किसी मान्यता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त हो या इसके सम-कक्ष हो। (2) एंग्रेविंग / इलेक्ट्रोप्लेटिंग / वायर वर्किंग में पर्यवेक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। टिप्पणी : 1. इसके अतिरिक्त भी उच्च अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार से छूट दी जा सकती है। टिप्पणी : 2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है, यदि चुनाव के किसी स्तर पर, यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि उपयुक्त अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी काफी संख्या में उनके लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए नहीं मिलते हैं।

क्या पदोन्नति पाने वाले के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के द्वारा भर्ती के मामले में जिन पदक्रमों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण देना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार है	भर्ती करते समय जिन हालातों में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जानी है
8	9	10	11	12	13
आयु : नही शैक्षिक योग्यताएं : नही. परन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।	2 वर्ष	पदोन्नति इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानतांरण और इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : फोरमैन (मोल्ड आफिस प्लाण्ट) नियुक्ति नियमित आधार पर होने के पश्चात इस पद पर 5 वर्ष की सेवा। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी जिनकी 650-1200 रुपए/ 550-900 रुपए के वेतनमानों में 3/5 वर्ष की सेवा या इसके समकक्ष और कालम सं० 7 में (प्रतिनियुक्ति का समय साधारण तौर पर 3 वर्ष से अधिक नही होगा) सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किस्म का अनुभव और योग्यताएं होने पर।	समूह 'ख' पदोन्नति समिति में सम्मिलित : (1) उप सचिव (प्रशासन) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) —अध्यक्ष (2) उप सचिव (एम० एण्ड पी०) वित्त मंत्रालय—सदस्य (3) उप सचिव (सी० पी० टी०) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रशाखा —सदस्य टिप्पण : स्थायित्व संबंधी पदोन्नति समिति के अलग-अलग विचारों की कार्यवाही अनुमोदनार्थ आयोग को भेजी जाएगी। लेकिन यदि आयोग के द्वारा ये अनुमोदित नही होते तो पदोन्नति समिति की एक नयी बैठक अध्यक्ष के द्वारा अथवा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के द्वारा बुलायी जाएगी।	जब भी सीधी भर्ती की जाएगी, संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेना आवश्यक होगा।

[संख्या एफ० 8/8/78-करेंसी]

एस० एल० दत्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Deptt. of Economic Affairs)

New Delhi, the 6th November, 1979

G. S. R. 1513.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Security Paper Mill (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Security Paper Mill (Class I and Class II posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled to the Security Paper Mill (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1968, after serial number 4 relating to the post of the Deputy Works Manager and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or Non-selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
4A. Assistant Works Manager (Mould Cover Making Plant)	1	G.C.S. Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	Essential : (i) Diploma in Mechanical or Electrical Engineering or Fine Arts (Engraving) or Degree in Science with Chemistry as a subject from a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience in a supervisory capacity in engraving/electroplating/Wire working. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled in by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualification : No, but must have passed Matriculation Examination of a recognised University or equivalent.	2 years	By promotion failing which transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Foreman (Mould Office Plant) with 5 years' service rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers under the Central Government having 3/5 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200/ Rs. 550-900 or equivalent and possessing qualifications and experience of the type prescribed for direct	Group 'B' D.P.C. consisting of : (i) Deputy Secretary (Admn.) Ministry of Finance (DEA)—Chairman (ii) Deputy Secretary (M&P), Ministry of Finance—Member (iii) Deputy Secretary (CPT), Ministry of Finance (DEA), Banking Wing—Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

11	12
recruits in Col. 7 (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Note : The Proceeding of the DPC relating to confirmation of diverse views shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. F. 8/8/78-CY]
S. L. DUTT, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1979

सा०का०नि० 1514.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लागत लेखा पूल (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लागत लेखा पूल (भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लागत लेखा पूल (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

"4 पूल में भर्ती—पूल में सभी रिक्तियां अनुसूची 2 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) वह सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 2 के पैरा 1 में, मद "iv और v" तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"iv लागत लेखा अधिकारी	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ; 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
v सहायक लागत लेखा अधिकारी	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा; 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची 3 में, पैरा 2, के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :—

"प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हताएं :—

(i) उप मुख्य लागत लेखा अधिकारी

प्रोन्नति : ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा।

(ii) ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी

प्रोन्नति : लागत लेखा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा।

(iii) लागत लेखा अधिकारी

प्रोन्नति : सहायक लागत लेखा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा।

(प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वशासी या अर्ध सरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, जिन्होंने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान की अंतिम परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण कर ली है और जिनके पास ऐसी अर्हता के पश्चात् सात वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(4) सहायक लागत लेखा अधिकारी प्रोन्नति : लागत लेखाकार के रूप में 3 वर्ष की नियमित सेवा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/स्वशासी या अर्ध सरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या भारतीय लागत और संकर्म लेखा संस्थान की अंतिम परीक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण कर ली है और जिनके पास ऐसी अर्हता के पश्चात् सात वर्ष का अनुभव है।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण :- प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

[सं०ए०-12018/2/78-ई०आई० (ए)]

लोकेन्द्र नाथ शर्मा, अवर सचिव

(Department of Expenditure

New Delhi, the 26th November, 1979

G.S.R. 1514.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the existing rule 4 of the Central Cost Accounts Pool (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1961 (hereinafter referred to the said rules), the following rule shall be substituted namely:—

"4. Recruitment to the Pool—All vacancies in the Pool shall be filled by promotion or transfer on deputation (including short-term contract) or direct recruitment in accordance with the provisions contained in Schedule II".

3. In the Schedule II to the said rules in paragraph 1, for items "iv & v" and entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:—

"Iv Cost Accounts Officer	50% by promotion, failing which by transfer on deputation (including short-term contract); 50% by transfer on deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment.
Assistant Cost Accounts Officer	50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract); 50% by transfer on deputation (including short-term contract), failing which by direct recruitment."

4. In the Schedule III to the said rules, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"2. Qualification for appointment by promotion/transfer on deputation (including short-term contract):—

(i) Deputy Chief Cost Accounts Officer.

Promotion :

5 years' regular service as Senior Cost Accounts Officer.

(ii) Senior Cost Accounts Officer.

Promotion :

5 years' regular service as Cost Accounts Officer.

(iii) Cost Accounts Officer.

Promotion :

5 year's regular service as Assistant Cost Accounts Officer.

Transfer on deputation (including short-term contract).

Officers under the Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Autonomous or Semi-Government Organisations who have passed the final examination of the Institute of the Chartered Accountants of India or of the Institute of Costs and Works Accountants of India or equivalent and possess 7 years' post qualification experience.
(Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).

(iv) Assistant Cost Accounts Officer.

Promotion :

3 years' regular service as Cost Accountant.

Transfer on deputation (including short-term contract).

Officers under the Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Autonomous or Semi-Government Organisations who have passed the final examination of the Institute of Chartered Accountants of India or of the Institute of Costs and Works Accountants of India or equivalent and possess 5 year's post qualification experience.
(Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 3 years).

Note: The selection of officers for transfer on deputation (including short-term contract) shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A.12018/2/78-EI(A)]

L.N. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd December, 1979

G.S.R. 1515.—In the Ministry of External Affairs Notification No. VI/401/37/79, dated the 16th August, 1979 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II-Section 3-Sub-Section (i) dated the 16th August, 1979 under Issue No. 261 and as G.S.R. 488 (E), the following correction is to be made in the English version :—

In the fifth line, for the figure, brackets and letter "298 (e)" read "293 (e)".

[No. VI/401/37/75]

K. C. KHAWAN, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1516.—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 202, तारीख 24 जनवरी, 1979 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 10 फरवरी, 1979 के पृ० 408 से 468 तक पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को

उपलब्ध कराई जाती हैं, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और नियमों के उक्त प्रारूप को, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दोबारा प्रकाशित करना वांछनीय समझा गया है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आपत्ति या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1979 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 26 में,—

(क) खण्ड (छ) का लोप किया जायेगा,

(ख) खण्ड (झ) के पश्चात् स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि अमोनिया प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा बनाया गया दग्धशर्करा (कैरामेल) किसी खाद्य वस्तु में या उस पर किसी भी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है और अमोनिया प्रक्रिया द्वारा बनाया गया दग्धशर्करा किसी खाद्य वस्तु में या पर 2000 पी० पी० एम० से अनधिक सांद्रता में प्रयोग किया जा सकता है।"

3. उक्त नियमों के नियम 29 में, खण्ड (ठ) का लोप किया जायेगा।

4. उक्त नियमों के नियम 30 में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि बैंगनी रंग (अमरन्थ) और पोस्त का रंग (पौन्शो) 4-आर, किसी खाद्य में मिलाया जायेगा तो वह 15 पी० पी० एम० से अधिक नहीं होगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 32 में, खण्ड (ड) और "स्पष्टीकरण 2" का लोप किया जायेगा।

6. उक्त नियमों के नियम 49 में, उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"(8) खाद्य में अम्ल के रूप में अनुज्ञात लेक्टिक एसिड केवल आई० एस० आई० प्रमाणन चिह्न के अधीन ही बेची जायेगी।

(9) भट्ठी रीति से तैयार कत्था भट्ठी कत्था "के रूप में स्पष्टतया चिह्नित होगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 50 में,—

(क) उपनियम (1) के पश्चात्, परन्तुक का लोप किया जायेगा,

(ख) उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(1क) एक या अधिक खाद्य वस्तुओं के लिये और एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न स्थापनों या परिसरों के लिये भी अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा एक अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।"

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(4) यदि खाद्य वस्तुएं एक से अधिक राज्यों में स्थित भिन्न-भिन्न परिसरों में विनिर्मित, भण्डारित या प्रदर्शित की जाती है तो अलग-अलग आवेदन किये जायेंगे और ऐसे प्रत्येक परिसर के बारे में अलग अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी :

परन्तु यह कि फेरी वाले को, जिनका कारबार उसी राज्य की भिन्न-भिन्न स्थानीय सीमाओं में है, एक अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी।"

(घ) उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(5क) किसी खाद्य वस्तु का विनिर्माता, वितरक, व्यवहारी या विक्रेता उस खाद्य वस्तु को, जो उस रूप में विक्रय योग्य नहीं है किन्तु जिसे विक्रय से पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अलग स्थान में, साफ या तैयार किया जाना है,

'तैयार करने के लिए भण्डारित खाद्य-विक्रय के लिये नहीं' जैसी समुचित घोषणा के साथ, भण्डार में रखेगा।"

8. उक्त नियमों के नियम 53 में,—

(क) खण्ड (1) में,—

(1) उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) ग्लुकोज या ग्लुकोज शर्बत",

(2) उपखण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(झ) खाद्य तेल",

(ख) खण्ड (2) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ) मेथाइल या प्रोपाइल पैराहाइड्रासी बेनजोइक अम्ल और उसके नमक,—

(ज) प्रोप्योनिक अम्ल,

(झ) सोडियम डाइसिटेट

(ञ) सोडियम, पोटेशियम और लैक्टिक अम्ल के कैल्शियम नमक।"

(ग) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु बच्चों के खाद्य में कोई नाइट्राइट या नाइट्रेट प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, बच्चों के खाद्य से अभिप्रेत है, कोई ऐसा खाद्य जिसकी बाबत कोई लेबल, टिकट, सूचना या विज्ञापन ऐसे शब्दों, बनावट या वर्णन के रूप में होता है या रहता है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस बात को इंगित करता है कि ऐसा खाद्य विनिर्दिष्ट रूप से शिशुओं और बच्चों के लिये तैयार किया गया है।"

9. उक्त नियमों के नियम 35 में, सारणी में,—

(क) मद 5, 6, 16, 23 और 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3
5. (क) बन्द बोतलों में फलों के स्क्वाश, क्रशेज, कार्डियल्स, फलों के शर्बत	सल्फर डाइआक्साइड	350
(ख) बन्द बोतलों में फलों के रस के सान्द्र	सल्फर डाइआक्साइड	500
6. (क) बन्द डिब्बों में मुरब्बा, जमी मरमालेड्स और परिरक्षी	सल्फर डाइआक्साइड या बेंजोइक अम्ल	40 200
(ख) बन्द बोतलों में मुरब्बा, जैली मरमालेड्स और परिरक्षी	बेंजोइक अम्ल या सल्फर डाइआक्साइड	200 100
16. (क) मीठा बनाया गया मिनरल जल	सल्फर डाइआक्साइड या बेंजोइक अम्ल	70 120
(ख) फल पेयों से भिन्न इस्तेमाल के लिए तैयार मीठे बनाए गए पेय	बेंजोइक अम्ल	120
(ग) इस्तेमाल के लिए तैयार बन्द बोतलों में मीठे किए गए फलों के पेय	सल्फर डाइआक्साइड	70
23. (क) किशमिश या बीजरहित किशमिश को छोड़कर निर्जलित सब्जियां	सल्फर डाइआक्साइड	2000
(ख) किशमिश और बीजरहित किशमिश	सल्फर डाइआक्साइड	750
25. संश्लेषिक चाशनी या शरबत	सल्फर डाइआक्साइड	600

(ख) मद 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
32. (क) सूप (बन्द डिब्बों के सूप को छोड़कर)	सल्फर डाइआक्साइड	150
(ख) सूखे सूप	सल्फर डाइआक्साइड	1500
(ग) डिब्बों से भिन्न आधानों में पैक निर्जलित सूप मिश्रण	सल्फर डाइआक्साइड	1500
33. फलों और सब्जियों की पपड़ियां, पाउडर अंजीर	सल्फर डाइआक्साइड	600
34. पके खाद्यकों के लिए आटा	सोडियम डायसिटेट या प्रोपियोनेट्स	2500 3200
35. पके खाद्य	मेथाइल या प्रोपाइल हाइड्राक्सी, बेंजोएट या प्रोपियोनेट्स,	500 3800
36. आलू की पपड़ियां, सूखे केले और इसी प्रकार के नमकीन खाद्य	सल्फर डाइआक्साइड	600
37. घुलने योग्य काफी, घुलने योग्य चाय	बेंजोइक एसिड	120
38. मिर्च मसाले	सल्फर डाइआक्साइड	400
39. प्रकीर्ण खाद्य (जो विनिर्दिष्ट नहीं हैं)	लेक्टिक एसिड या सोडियम, पोटेसियम या कैलशियम लेक्टेट	अच्छी विनिर्माण पद्धति (जी० एम० पी०) द्वारा सीमित ;

10. उक्त नियमों के नियम 57 से, सारणी में, मद 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
6. कैडमियम	सभी खाद्य	1.5
7. पारा	(1) मछली	1.5
	(2) अन्य खाद्य	0.5

11. उक्त नियमों के नियम 57 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

57क. फसलों के संदूषक :—नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी खाद्य वस्तु में उसके स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट कोई संदूषक उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होगा ।

सारणी

संदूषक का नाम	खाद्य वस्तु	मि० ग्रा०/कि० ग्रा०
1	2	3
1. एफलाटोकिसन	मूंगफली, अन्य तिलहन का आटा, अनाज	0.3
2. पासिपोल	खाद्य	600 (खुले तौर पर या 6000 कुल के आधार पर)

टिप्पण : एफलाटोकिसन का 0.03 पी० पी० एम० प्रति कि० ग्रा० लगभग 100 भरे हुए काष्ठफल और बीज ।

12. उक्त नियमों के नियम 59 में—

"(क) प्रथम परन्तुक में,—

(1) मद 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ;

(2) मद 10 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

11. एसकार्बाइल पल्मीटेट 0.02 प्रतिशत"

(ख) तृतीय परन्तुक में, 'और बुटिलेटेड हाइड्राक्सी टौलीन (बी० एच० टी०), चाहे एकल हो या जुड़ी हुई' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

13. उक्त नियमों के नियम 60 में,—'पोली—आक्सीएथिलीन सौर-बिटन मैनोल्टिरेट और ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल' शब्दों, के स्थान पर 'बसीय अम्ल के इक्षुशंकरा प्रलवण के साथ, हाइड्राक्सी प्रोपिल सेलुलोज और सोडियम लोर-इल-सल्फेट के साथ शब्द रखे जाएंगे'।

14. उक्त नियमों के भाग 13 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

'भाग 13. सुवास, सुवासक एजेंट और सुवास वर्धक'।

63. सुवास की परिभाषा—सुवास ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रबल गन्ध उत्पन्न करने वाले गुण होते हैं जो कि स्वाद पर भी प्रभाव डालते हैं। सुवास प्राकृतिक, समानक या बनावटी हो सकते हैं।'

'63क. सुवासों के प्रयोग पर पाबन्दी—(1) इन नियमों में अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, कूमारिन, डाइहाइड्रो कूमारिन और सुवासक एजेंटों का प्रयोग किसी खाद्य वस्तु में नहीं किया जाएगा। सुवासक एजेंट, जहां कहीं अनुज्ञात हों, चाहे एकल या जुड़कर 300 मि० ग्रा०/कि० ग्रा० से अधिक नहीं होंगे। खमीर सत्व का प्रयोग सान्द्रता में, खाद्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।'

(2) खाद्य में निम्नलिखित पदार्थ, जो प्राकृतिक रूप से आ सकते हैं, नीचे इंगित स्तरों से अधिक नहीं होंगे—

	अधिकतम सीमा
1. एगरिक एसिड	100 पी पी एम
2. हाइड्रोसानिक एसिड	5 –तदैव–
3. हाइप्रिसिन	1 –तदैव–
4. सोलानिन	10 –तदैव–
5. सेफरोल	10 –तदैव–

(3) निम्नलिखित सुवासक एजेंट या सुवास वर्धक किसी खाद्य वस्तु में, सान्द्रता में नीचे इंगित सीमा से अधिक नहीं होंगे :—

1. कुनेन	
क. साधारण खाद्य	1 पी पी एम
ख. हल्का पेय	85 पी पी एम
ग. मादक पेय	300 पी पी एम
2. मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एम एस जी)	वयस्कों के लिए खाद्य और सूप में 500 पी पी एम से अधिक नहीं (बच्चों के खाद्य पदार्थों में एम एस जी का प्रयोग नहीं किया जाएगा)।
3. एथील मेलतोल	बिस्कुट, चाकलेट और पके खाद्यों में 650 पी पी एम से अधिक नहीं।

64. सुवासों के लिए विलायक—निम्नलिखित पदार्थ, अर्थात्, डाइथिलीन ग्लाइकोल मोनाएथील ईथर ; 1, 2—डाइक्लोरोइथन, हैक्सोलीन ग्लाइकोज : 1, 1, 2, ट्राइक्लोरोएथिलीन और डाइथोल ईथर तथा निम्नलिखित से भिन्न अन्य कोई विलायक सुवास में प्रयोग नहीं किया जाएगा—

1. एथील एलकोहल,
2. प्रोपिलीन ग्लाइकोल,
3. ग्लाइसीरोल,
4. आइसो-प्रोपाइल एल्कोहल (खाद्य श्रेणी),
5. लिक्विड पैराफिन (खाद्य श्रेणी),
6. एसिटिक अम्ल, और
7. प्रोपामेडियल।

64क. सुवासों के लिए आक्सीकरण-विरोधी, इमल्सन बनाने वाले और स्थायी बनाने वाले एजेंट का प्रयोग सुवासों में अनुज्ञात आक्सीकरण विरोधी, इमल्सन बनाने और स्थायी बनाने वाले एजेंट हो सकते हैं।

15. उक्त नियमों के भाग 16क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग रखे जाएंगे, अर्थात्:—

भाग 17—पृथक करने वाले और उभय-प्रतिरोधन एजेंट (अम्ल, क्षारीय और नमक)।

72. पृथक करने वाले एजेंटों की परिभाषा :—पृथक करने वाले एजेंट वे पदार्थ हैं जो कि लेट बनाने वाले खाद्यों के आक्सीकरक मंजन पर धातु उत्प्रेरक के प्रतिकूल प्रभाव को रोकते हैं।

73. उभय-प्रतिरोधन एजेंटों की परिभाषा :—उभय-प्रतिरोधन एजेंट वे पदार्थ हैं जिन्हें भण्डारण और प्रसंस्करण के दौरान एसिडिक और अलकेलिन परिवर्तनों का मुकाबला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिससे सुवास सुधरे और खाद्यों का स्थायीत्व बढ़े।

74. पृथक करने वाले उभय-प्रतिरोधन एजेंटों के प्रयोग पर निर्बन्धन :—जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, निम्नलिखित पृथक करने वाले और उभय-प्रतिरोधन एजेंटों का प्रयोग खाद्यों के निम्नलिखित वर्गों में सान्द्रता में उनके सामने दिए गए अनुपात से अनधिक अनुपात में किया जाएगा :—

सारणी

पृथक करने वाले और उभय प्रतिरोधन एजेंटों का नाम	खाद्य-वर्ग	प्रयोग का अधिकतम स्तर (मि० ग्रा०/कि० ग्रा० प्रतिभाग)।
1	2	3
1. एसिटिक अम्ल	(1) पेयों, हल्के पेयों में ईथअम्ल, उभय-प्रतिरोधन और शमनकारी एजेंट।	जी० एम० पी० द्वारा सीमित।
	(2) डिब्बा बन्द बच्चों के खाद्यों में।	5,000
2. एडिपिक अम्ल	मिष्ठान (कनफेक्शनरी)	30,000
3. अमोनिया कार्बोनेट	पके खाद्यों, मिष्ठानों के लिए खमीर वाले एजेंट।	5,000
4. अमोनियम फासफेट मोनोबेसिक	आटे में रोटी सुधारने वाला	2,500
5. कैल्शियम ग्लुकोनेट।	मिष्ठानों में	2,500
6. कैल्शियम कार्बोनेट	अनेक खाद्यों में शमनकारी	20,000
7. कैल्शियम आक्साइड	विनिर्दिष्ट डेरी उत्पादनों में शमनकारी	2,500
8. साइट्रिक अम्ल मैलीक अम्ल फाइमरिक अम्ल	कार्बोनिटिक पेयों और जेली तथा प्रकीर्ण खाद्यों में ईथअम्ल के रूप में	जी० एम० पी० द्वारा सीमित।
9. ग्लूकोनों डेल्टा लेक्टोन	खमीर, एजेंट, नमक लगा मांस या मांस उत्पाद	5,000
10. लेक्टिक अम्ल (खाद्य वर्ग)	प्रकीर्ण खाद्यों के खमीर के रूप में	जी० एम० पी० द्वारा सीमित।

1	2	3
11. फासफोरिक अम्ल	पेय, हल्के पेय	600
12. पोलिफोसफेट जिस में छः से कम फोसफेट मोइटीज हों	(क) प्रसंस्कृत पनीर, रोटी	40,000
	(ख) दूध पदार्थ	4,000
	(ग) केक मिश्रण	10,000
	(घ) प्रोटीन खाद्य	4,000
13. टारटरिक अम्ल	खमीर	600

टिप्पण—एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बने किसी खाद्य में लैक्टिक अम्ल नहीं मिलाया जाएगा । लैक्टिक अम्ल आई० एस० आई० द्वारा अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप भी होगा ।

भाग—18 विरंजन, परिपक्व होना और स्टार्च रूपान्तरक

75. विरंजन एजेंटों की परिभाषा—विरंजन एजेंट वे पदार्थ हैं जो खाद्यों को रंग में और आवर्धित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं ।

76. परिपक्व एजेंटों की परिभाषा—परिपक्व एजेंट वे पदार्थ हैं, जो परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तथा जिनमें ऐसे परिवर्तन होने में लम्बा समय लगता है ।

77. विरंजक या परिपक्व एजेंटों के प्रयोग पर निर्बन्धन—जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्धित न हो, निम्नलिखित विरंजक एजेंट तथा सुवास एजेंटों का प्रयोग खाद्यों के निम्नलिखित खाद्य वर्गों में सान्द्रता में नीचे उनके सामने दिए गए अनुपात से अनधिक अनुपात में किया जाएगा :—

सारणी

विरंजक तथा सुवास एजेंटों का नाम	खाद्य-वर्ग	प्रयोग का अधिकतम स्तर मि० ग्रा०/कि० ग्रा०
1	2	3
1. एसिटोन पैराक्साइड	आटे में परिपक्व और विरंजन एजेंट	400
2. बेंजोयल पैराक्साइड	आटे में विरंजन एजेंट	100
3. कैल्शियम क्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट	तदैव	50
4. एसकार्बिक अम्ल	आटे में सुधार करने वाला	जी० एम० पी० द्वारा सीमित ।
5. सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड ।	खाद्य स्टार्च के रूपान्तरक	5,000
6. प्रोपिलीन	अनाज के आटे के लिए स्टार्च रूपान्तरक	100
7. सक्सिनिक एनहाइड्राइड	तदैव	40,000
8. सोडियम ट्राइमेटाफो स्फेट	तदैव	4,000
9. फोसफोरस अक्सीक्लोराइड ।	तदैव	1,000

भाग 19—पोषक अनुपूरक

78. नियम 32क में अधिकथित लेबल लगाने की शर्तों के अधीन रहते हुए खाद्यों में इच्छित मात्रा में विभिन्न विटामिन, अमिनों, अम्ल खनिज और आवश्यक वसीय अम्ल मिलाए जा सकते हैं ।

भाग 20—ऐंटीकेकिंग एजेंट

79. निम्नलिखित ऐन्टीकेकिंग एजेंट

(1) टेबल साल्ट, (2) प्याज और लहसुन के पाउडर (3) फलों के पाउडर, और (4) सूप के पाउडर में अकेले या मिलाकर 2.0 प्रतिशत से अनधिक की मात्रा में मिलाए जा सकते हैं, अर्थात् :—

1. कैल्शियम या मैगनेशियम के कार्बोनेट,

2. कैल्शियम या मैगनेशियम फासफेट,

3. कैल्शियम, मैगनेशियम या एल्यूमीनियम या सोडियम या सिलिकन डाई-आक्साइड के सिलिकेट,

4. एल्यूमीनियम, एमोनियम कैल्शियम, पोटैशियम या सोडियम के माईरिस्टेट, पामिटेट या स्टियरयेट ।

16. उक्त नियमों के परिशिष्ट क में, प्ररूप 6क में, सारणी में, शीर्ष बैच सं० या कोड सं० सहित स्तम्भ 2-क का लोप किया जाएगा ।

17. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में—

क. मद क—11, 02.08 में अनुपानतः कम कर दी जाएगी परन्तु शब्दों का लोप किया जाएगा ।

ख. मद क, 15.01 में भार के अनुसार पोटेशियम आयोडेट 40,000 भाग (25 पी० पी० एम०) में एक भाग या पोटेशियम आयोडेट 50,000 भाग (20 पी० सी० एम०) में एक भाग या समतुल्य आयोडीन के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"पोटेशियम आयोडेट विनिर्माता के स्तर पर 35 पी० पी० एम० से और वितरण मार्ग पर 15 पी० पी० एम० से कम नहीं होगा ।"

ग. मद क. 16.12 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क 16, 13 मसालेदार चटनी—

मसालेदार चटनी जैसे मिर्च की चटनी का उत्पादन किसी उपयुक्त प्रकार तथा किस्म के मसालों या मसालों में एक या अधिक को मिलाकर प्राप्त की जाएगी । ऐसे मसाले स्वास्थ्यप्रद होंगे और व्यवहारतः सुसरी या कीड़ों से मुक्त होंगे । जो पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, वे हैं —मसाले ताजे या सूखे, चीनी, नमक, सिरका, एसिटिक अम्ल, मैलीक अम्ल, प्याज लहसुन, सुवास एजेंट और अनुज्ञात परिरक्षक, अनुज्ञात स्थायिकारक और पायसीकारक । इसमें दुग्ध-शर्करा । (कैरामेल) भी हो सकती है परन्तु कोई कोलतार रंग नहीं होना चाहिए । इसमें थोड़ी मात्रा में फल और सब्जियों के गूदे या रस भी हो सकते हैं ।

एसिटिक अम्ल के रूप में कुल अम्लता 1.0 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 10.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

(घ) मद क 21 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु "भट्टी कत्था" की दशा में शुष्क आधार पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील राख 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

नियम 49 के उपनियम (9) के अधीन यथाअपेक्षित भट्टी कत्था चिन्हित किया जाएगा ।

[सं० पी० 15014/9/77-पी०एच० (एफ एंड एन) पी०एफ०ए०]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th November, 1979

G.S.R. 1516.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, was published as required by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), after consultation with the Central Committee for Food Standards at pages 400 to 408 of the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (i) dated 10th February, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 202 dated the 24th January, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette are made available to the public.

And whereas it is considered desirable to publish the said draft rules again for the information of all persons likely to be affected thereby.

Now, therefore, the following draft of rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft-rules will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the copies of Official Gazette containing this notification are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1979.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as said rules), in rule 26,—

(a) clause (g) shall be omitted;

(b) for the explanation after clause (i), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that caramel made by any process other than ammonia process may be used in any quantity in or upon any article of food and caramel made by ammonia process may be used in or upon any article of food in concentration not exceeding 2000 ppm.".

3. In rule 29 of the said rules, clause (1) shall be omitted.

4. To rule 30 of the said rules, the following proviso shall be added in the end, namely :—

Provided that Amarnath and Ponceau 4R (if added to any food shall not exceed 15 ppm.'.

5. In rule 32, of the said rules, clause (e) and Explanation II shall be omitted.

6. In rule 49 of the said rules, after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(8) Iactic acid permitted for use as an acidulent shall be sold only under I.S.I. Certification Mark.

(9) The Katha prepared by Bhatti Method shall be conspicuously marked as "Bhatti Katha"."

7. In rule 50 of the said rules,—

(a) the proviso to sub-rule (1) shall be omitted;

(b) in sub-rule (1A), the following shall be inserted at the end, namely :—

"and also for different establishments or premises in the same State";

(c) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) If the articles of food are manufactured, stored or exhibited for sale at different premises situated in more than one State, separate applications shall be made and a separate licence shall be issued in respect of each such premises :

"Provided that one licence may be issued to the itinerant vendors having business in different local areas in the same State." ;

(d) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

'(5A). The manufacturer, distributor, dealer or vendor of an article of food shall store the food which are not for sale, as such, but are required to be cleaned or processed before sale, in a separate place approved by the licensing authority, with appropriate declaration, "Foods stored for processing—Not for sale."

8. In rule 53 of the said rules,—

(a) in clause (i)—

(i) for sub-clause (d), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(d) Glucose or glucose syrup";

(ii) after sub-clause (h), the following sub-clause shall be inserted namely :—

"(i) edible oils.";

(b) in clause (ii), after sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(g) Methyl or propylparahydroxy benzoic acid and salts thereof,

(h) Propionic acid,

(i) Sodium-diacetate,

(j) Sodium, potassium and calcium-salts of lactic acid.";

(c) the following proviso and Explanation shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that no Nitrite or Nitrate shall be used in any baby food.

Explanation. For the purpose of these rules, baby food means any food in respect of which any label, ticket, notice or advertisement bears includes in words, device or description calculated to mean directly or indirectly that such food has been specifically prepared for infants and children.".

9. In rule 55 of the said rules, in the Table,—

(a) for items 5, 6, 16, 23 and 25 and the entries relating thereto, the following items and entries shall respectively be substituted, namely :—

1	2	3
"5. (a) Bottled fruit squashes, crushes, cordials, fruit syrups.	Sulphur dioxide	350
(b) Bottled fruit juice concentrates.	-do-	500
6. (a) Canned Jams, Jellies,	Sulphur dioxide or	40
Marmalades and Preserves.	Benzoic acid	200
(b) Bottled jams, jellies Marmalades and Preserves.	Benzoic acid or Sulphur dioxide.	200 100

1	2	3
16. (a) Sweetened mineral water	Benzoic acid or Sulphur dioxide	120 70
(b) Sweetened ready to serve beverages other than fruit beverages	Benzoic acid	120
(c) Sweetened ready to serve bottled fruit beverages.	Sulphur dioxide	70
23(a) Dehydrated vegetables except raisins and sultanas.	Sulphur dioxide	2000
(b) Raisins and Sultanas.	Sulphur dioxide	750
25. Synthetic syrups and sherbats	Sulphur dioxide	600";

(b) after item 31 and the entries relating thereto the following items and entries shall be inserted, namely :-

1	2	3
"32. (a) Soups (other than canned)	Sulphur dioxide	150
(b) Dried soups.	-do-	1500
(c) Dehydrated soup mix when packed in containers other than cans.	-do-	1500
33. Fruits and vegetables, flakes powder-figs.	-do-	600
34. Flour for backed foods.	Sodium diacetate or Propionates	2500 3200
35. Baked foods	Methyl or propyl hydroxy benzoate or Propionates	500 3800
36. Potato flakes dried banana and similar savouries.	Sulphur dioxide	600
37. Soluble coffee, soluble tea	Benzoic acid	120
38. Spices and condiments	Sulphur dioxide	400
39. Miscellaneous foods	Latic acid or sodium, potassium or calcium lactate	Limited by G.M. P."

12. In rule 57 of the said rules, in the Table, after item 5 and entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3
"6. Cadmium	All foods	1.5
7. Mercury	(i) Fish (ii) Other foods	1.0 0.5".

11. After rule 57 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"57A Crop contaminants.—No article of food specified in column (2) of the Table below shall contain any contaminant specified in column (1) thereof in excess of the quantity specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Name of the contaminants	Article of food	mg/kg.
1	2	3
1. Aflatoxin	Groundnuts, other oilseeds	0.3
2. Gossypol	and cereals foods	6.00 On free basis or 6000 on total basis.

Note.—0.03 ppm of aflatoxin = 100 infested nuts or seeds per kg.".

12. In rule 59 of the said rules, -

(a) in the first proviso

(i) Item 5 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after item 10, the following item shall be inserted, namely :—

"11. Ascorbyl palmitate.....0.02 per cent";

(b) in the third proviso, the words, brackets and letters, "and Butylated hydroxytoluene (BHT) either singly or in combination" shall be omitted.

13. In rule 60 of the said rules, for the words, "poly-oxyethylene sorbiton monostearate and brominated vegetable oils", the words "with sucrose esters of fatty acids, hydroxy propyl cellulose and sodium lauryl sulphate" shall be substituted "

14. For PART XIII of the said rules, the following Part shall be substituted, namely :—

"PART XIII--FLAVOURS, FLAVOURING AGENTS AND FLAVOUR BOOSTERS

63. Definition of flavour.— Flavours are substances which have pre-dominantly odour producing properties which affects the taste as well. Flavour may be natural, artificial or identical.

"63A. Restrictions on the use of flavours.— (1) Save as otherwise provided in these rules, coumarin dihydro-coumarin and the flavouring agents shall not be used in any article of food. Flavouring agents wherever permitted shall not exceed 300 mg. per kg. either singly or in combination. Yeast extract may be used in concentration not exceeding 5 per cent of food.

(2) The following substances in food, which may occur naturally, shall not exceed the limits indicated below :—

	Maximum limit
1. Agaric acid	100 ppm
2. Hydrocyanic acid	5 ppm
3. Hypericine	1 ppm
4. Saffrole	10 ppm
5. Solanine	10 ppm

(3) The following flavouring agents or flavour boosters may be added to an article of food in concentration not exceeding the limits indicated below :—

1. Guinine	
(a) General foods	1 ppm
(b) Soft drinks	85 ppm
(c) Alcoholic beverages	322 ppm

2. Monosodium glutamate (MSG)	Not more than 500 ppm in soups and foods for adults. (MSG is not to be used in baby foods).
3. Ethyl maltol	Not more than 650 ppm in biscuits, chocolate and baked foods.

64. Solvent for flavours. the following substances, namely Diethylene glycol monoethyl ether; 1, 2-dichloroethane, hexylene glycol; 1, 1, 2, trichloroethylene and diethyl ether and no solvent other than the following shall be used in flavour,—

(i) Ethyl alcohol.

(ii) Propyl glycol.

(iii) Glycerol,

(iv) Iso-propyl alcohol (food grade),

(v) Liquid paraffin (Food grade),

(vi) Acetic acid,

(vii) propanediol.

64A. Use of antioxidants, emulsibying and stabilising agents in flavours.—The flavour may contain permitted antioxidants, emulsifying and stabilising agents."

15. After PART XVI of the said rules, the following PARTS shall be inserted, namely :—

"PART XVII—SEQUESTERING AND BUFFERING AGENTS (ACIDS, BASES AND SALTS)

72. Definition of sequestering agents.—The sequestering agents are substances which prevent adverse effect of metals catalysing the oxidative breakdown of foods forming chelates; thus inhibiting decolourisation, off taste and rancidity.

73. Definition of buffering agents.—Buffering agents are materials used to counter acidic and alkaline changes during storage or processing steps, thus improving the flavour and increasing the stability of foods.

74. Restrictions on the use of sequestering and buffering agents.—The following sequestering and buffering agents may be used in the following groups of foods in concentration not exceeding the proportions given against each, unless otherwise provided in these rules :—

TABLE

Name of sequestering and buffering agents	Groups of food	Maximum level of use (parts per mgm/Hgm)
1	2	3
1. Acetic acid	(i) Acidulant, buffering and neutralising agent in boverages, soft drinks,	Limited by G.M.P.
	(ii) in canned baby foods	5,000
2. Adipic acid	Confections	30,000
3. Ammonium Phosphate mono basic	Bread improver in flour	2,500
4. Ammonium Carbonate	As a leavening agent for baked foods, confections	5,000
5. Calcium gluconate	In confections	2,500
6. Calcium carbonate	As a neutralizer in a number of foods	20,000
7. Calcium oxide	As a neutralizer in specified dairy product	2,500
8. Citric acid Malic acid Fumaric acid	Carbonated beverages and as an acidulant in miscellaneous foods	Limited by GMP
9. Glucono delta Lactone	Leavening agent, cured meat or meat products	5,000
10. Lactic acid (food grade)	As acidulant in miscellaneous foods	Limited by GMP
11. Phosphoric acid	Beverages, soft drinks	600
12. Polyphosphate containing less than 6 phosphate moieties	a) Processed cheese, bread	40,000
	(b) Milk preparations	4,000
	(c) Cake mixes	10,000
	(d) Protein foods	4,000
13. Tartaric acid	Acidulants	600

Note.—Lactic acid shall not be added in any food meant for children below 12 months. The lactic acid shall also conform to the specifications laid down by Indian Standards Institution.

PART XVIII—BLEACHING, MATURING AND STARCH MODIFIERS

75. Definition of Bleaching Agents.—Bleaching agents are materials used for making foods more attractive in colour.

76. Definition of maturing agents.—Maturing agents are materials used to bring about change which would otherwise occur in a longer time.

77. Restrictions on use of bleaching or maturing agents.—The following bleaching and flavouring agents may be used in the following groups of food in concentration not exceeding the proportions given below against each, unless otherwise provided in these rules.

TABLE

Name of bleaching and flavouring agents	Group of foods	Maximum levels of use mgm/kg.
1	2	3
1. Acetone peroxide	Maturing and bleaching agents in flour	400
2. Benzoyl peroxide	Bleaching agent in flour	100
3. Calcium bromate, Potassium bromate	Bleaching agents in flour	50
4. Ascorbic acid	Improver in flours	Limited by GMP
5. Sodium Chloride and sodium hypochlorite	As modifier of food starch	5,000
6. Propylene	Starch modifiers for cereal flour	100
7. Succinic anhydride		40,000
8. Sodium trimetaphosphate		4,000
9. Phosphorus oxychloride		1,000

PART XIX—NUTRIENT SUPPLEMENTS

78. Nutrients.—Various vitamins, amino-acids, minerals and essential fatty acids may be added in desirable amount in foods subject to labelling as laid down in rule 32A.

PART XX—ANTICAKING AGENTS

79. Quantities of anticaking agents.—The following anticaking agents in quantities not exceeding 2.0 per cent either singly or in combination may be added to—

(i) Table salt;

(ii) Onion and garlic powder;

(iii) Fruits powder and

(iv) Soup powder, namely—

(1) Carbonates of calcium and magnesium,

(2) Phosphates of calcium magnesium,

(3) Silicates of calcium, magnesium, aluminium, or sodium silicon dioxide,

(4) Myristates, palmitates or stearates of aluminium, ammonium calcium, potassium or sodium.".

16. In Appendix A to the said rules, in Form VI-A, in the Table,

"column 2A with the heading "Batch No. or Code No." shall be omitted.

17. In Appendix B to the said rules,—

(a) in item A.11.02.08, the worls, "may be proportionately reduced but" shall be omitted.

(b) in item A.15.01 for the words, figures, brackets and letters

"one part to 40,000 parts (25 ppm) by weight of potassium iodate or one part to 50,000 parts (20 ppm) by weight of potassium iodate or equivalent iodine", the following words, figures and letters,

"the potassium iodate content shall not be less than 35 ppm at manufacturers level and shall not be less than 15 ppm in distribution channel." shall be substituted;

(c) after item A.16.12 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

"A.16.13: Spices based sauce: Spices based sauce like chillies sauce shall be the product derived from any suitable kind and variety of spices or condiments singly or in combination of more than one. Such spices shall be wholesome and practicaly free from fungal or insect attack. The only substance that may be added are, spices—fresh or dried, sugar, salt, vinegar, acetic acid, malic acid, onion, garlic, flavouring agents, permitted preservatives, permitted stablisers and emulsifiers. It may contain caramel but shall not contain any coaltar food colour. It may also contain small quantities of fruit pulp or juice.

The total acidity in terms of acetic acid shall not be less than 1.0 per cent and total soluble solids shall not be less than 10.0 per cent;

(d) to item A.21, the following proviso shall be added at the end, namely:—

"Provided that in case of Bhatti Katha, the ash insoluble in dilute hydrochloric acid on dry basis shall not be more than 1.5 per cent. The Bhatti Katha shall be marked as required in sub-rule (9) or rule 49".

[No. P. 15014/9/77-PH(F&N)PFA]

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1979

सा० का० नि० 1517:—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार का, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, बनाने का प्रस्ताव है, उक्त धाराओं द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको राजपत्र की वे प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप-नियमों की बाबत जो भी आपत्तियां या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1979 है।

2 औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,

(1) नियम 2 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ ङ क) रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय या राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत है।"

(2) नियम 30 कक में, स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" रखा जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "नई होम्योपैथिक औषधि" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई होम्योपैथिक औषधि जो भारत या संयुक्त राज्य अमरीका या यूनाइटेड किंगडम के होम्योपैथिक फारमेकोपिया में या जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया में विनिर्दिष्ट नहीं है; या

(ii) जो सिफारिश की गई दशाओं में प्राधिकृत होम्योपैथिक साहित्य में प्रभावकारी औषधि के रूप में मान्य नहीं है; या

(iii) कोई होम्योपैथिक औषधि का मिश्रण जिसमें एक या अधिक ऐसी औषधियों है जो होम्योपैथिक औषधियों के रूप में खण्ड (1) में निर्दिष्ट फारमेकोपिया में विनिर्दिष्ट नहीं है।"

(3) नियम 67–च में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कोई भी रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी, जो ऐसे परिसर में होम्योपैथी का व्यवसाय कर रहा है जहां होम्योपैथिक औषधियां विक्रय की जाती है, होम्योपैथिक औषधियों में व्यौहार नहीं करेगा"।

(4) नियम 85–ज में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ क) होम्योपैथिक औषधियों में कोई रंग नहीं मिलाया जाएगा"।

(5) नियम 106-क में,—

(i) खण्ड (ii) के उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रखा जाएगा अर्थात्:—

"(क) भारत या संयुक्त राज्य अमरीका या यूनाइटेड किंगडम के होम्योपैथिक फार्मेकोपिया या जर्मन होम्योपैथिक फार्मेकोपिया के अन्तर्गत आने वाली औषधियों के लिए, फार्मेकोपिया में विनिर्दिष्ट नाम",

(ii) खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii क) ऐसी किसी होम्योपैथिक औषधि के मामले में, जिसमें दो या अधिक संघटक हैं प्रत्येक संघटक का नाम तथा उसकी शक्ति या अनुपात या दोनों।"

(6) अनुसूची ट में, प्रविष्टि 21 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

औषधि वर्ग	छूट की सीमा और शर्तें
(1)	(3)
"23. किसी रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपने रोगी को दी गई होम्योपैथिक औषधियां या किसी रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी ही अन्य व्यवसायी के निवेदन पर दी गई होम्योपैथिक औषधियां, परन्तु यह तब जब कि रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी— (क) की कोई खुली दुकान नहीं है, या (ख) काउंटर पर विक्रय नहीं करता है, या (ग) भारत में होम्योपैथिक औषधियों का ऐसी सीमा तक आयात, विनिर्माण वितरण या विक्रय करने में नहीं लगा हुआ है जो उसे अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रति दायी बना दें।	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबन्ध :— (1) होम्योपैथिक औषधियां, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1954 के अधीन अनुज्ञप्त किसी व्यवहारी या विनिर्माता से ही क्रय की जाएंगी। (2) ऐसे परिसर, जहां होम्योपैथिक औषधियां भण्डारित की जाती हैं, अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। ऐसा निरीक्षक, यदि आवश्यक है तो, परीक्षण के लिए नमूना ले सकेगा'।

[सं० एक्स 11013/8/79-डी०एम०एस० एण्ड पी० एफ० ए०]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव।

New Delhi, the 7th December, 1979

G.S.R. 1517.—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published, as required by the said sections, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 90 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics Amendment Rules, 1979.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945,—

(1) in rule 2, after clause (ee) the following clause shall be inserted, namely :—

"(eea) "Registered Homoeopatic Medical Practitioner" means a person who is registered in the Central or a State Register of Homoeopathic Medical Practitioners".

(2) in rule 30AA, for 'Explanation', the following "Explanation" shall be substituted, namely :—

"Explanation.—For the purposes of this rule, 'New Homoeopathic medicine' means,—

(i) a Homoeopathic medicine which is not specified in the Homoeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homoeopathic Pharmacopoeia ; or

"(eee) "Registered Homoeopathic Medical Practitioner"

(ii) which is not recognised in authoritative Homoeopathic literature as efficacious under the conditions recommended ; or

(iii) a combination of Homeopathic medicines containing one or more medicines which are not specified in any of the Pharmacopoeias referred to in clause (i) as Homoeopathic medicines."

(3) in rule 67-F, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no Registered Homoeopathic Medical Practitioner who is practising Homoeopathy in the premises where Homoeopathic medicines are sold shall deal in Homoeopathic medicines."

(4) in rule 85-H, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ea) no colour shall be added to any, Homoeopathic medicines";

(5) in rule 106-A,

(i) for sub-clause (a) of clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(a) for drugs included in the Homoeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom, or the German Homoeopathic Pharmacopoeia, the name specified in the Pharmacopoeia";

(ii) after clause (iii) the following clause shall be inserted namely :—

(iiiA) in case of a Homoeopathic medicine containing two or more ingredients, the name of each ingredient together with its potency or proportion or both."

(6) in Schedule K, after the entry 22, the following entry shall be inserted, namely :—

Class of Drugs	Extent and conditions of Exemption
"23. Homoeopathic medicines supplied by a Registered Homoeopahtic Medical Practitioner to his own patient or Homoeopathic medicines supplied by a Registered Homoeopathic	All the provisions of Chapter IV of the Act and rules made thereunder subject to the following conditions :— (1) The Homoeopathic medicines shall be purchased only from a dealer or a

Class of Drugs	Extent and Conditions of Exemption	Class of Drugs	Extent and Conditions of Exemption
Medical Practitioner at the request of another such Practitioner provided the Regisiered Homoeopathic Medical Practitioner is not (a) keeping an open shop, or (b) selling across the counter, or (c) engaged in the importation, manufac-	manufacturer licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945. (2) The premises where the Homoeopathic medicines are stocked shall be open to inspection by an Inspector appointed under the Act, who may,	ture, distribution or sale of Homoeopathic medicines in India to a degree which renders him liable to the provisions of Chapter IV of the Act and the rules thereunder.	if necessary, take samples for test."

[No. X. 11013/8/79-DMS & PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1979

सा०का०नि 1518.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून में समन्वयक के समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून (समन्वयक-समूह "क") भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तुक यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्ष का फायदा के० सि० से० पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1 समन्वयक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित	1500-60-1800 रु०	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)	नहीं	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से वनस्पति विज्ञान में (विशेष विषय के रूप में

1	2	3	4	5	6	7	8
					टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।		कीट विज्ञान सहित) या प्राणी-विज्ञान में (विशेष विषय के रूप में कीट विज्ञान सहित) कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) विकृति विज्ञान के क्षेत्र में (अधिमानतः वन-कीट में) 10 वर्ष का अनुसंधान अनुभव, जो प्रकाशित पत्रों द्वारा साक्ष्यित हो। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुविहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में इस दशा में शिथिल की जा सकती है(हैं), जबकि भर्ती के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इसके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वांछनीय : (1) कीट विज्ञान या वनस्पति विकृति-विज्ञान (वन विकृति-विज्ञान और वनस्पति संरक्षण में अनुभव सहित) में डाक्टरेट या (कीट-विज्ञान वनस्पति संरक्षण में अनुभव सहित) डाक्टरेट। (2) वन-विज्ञान का ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय के ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (साधारण श्रेणी), जिन्होंने उस श्रेणी	समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उप-

12	13	14
में 5 वर्ष नियमित सेवाकर ली है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन निर्दिष्ट प्रकृति की शैक्षिक अर्हता और अनुभव है।	(2) संबद्ध प्रभाग का अपर सचिव/संयुक्त सचिव— सदस्य (3) प्रभाग का तकनीकी प्रधान—सदस्य (4) वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय का प्रधान—सदस्य (5) वन उप महानिरीक्षक—सदस्य (पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (1) संबद्ध प्रभाग का अपर सचिव/संयुक्त सचिव—अध्यक्ष (2) प्रभाग का तकनीकी प्रधान—सदस्य (3) वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय का प्रधान—सदस्य (4) वन उपमहानिरीक्षक—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	संघ को शिथिल या संशोधित करते समय भी आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं० 1-11/77-एफ० आर० वाई०-I]
जी० नायक, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 4th December, 1979

G.S.R. 1518.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment of Group 'A' of post of the Coordinator at the Forest Research Institute and Colleges, Dehradun, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges, Dehradun (Co-ordinator—Group 'A') Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of the post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservatons, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Co-ordinator	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800.	Selection	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : i) At least Second Class Master's degree in Botany (with Mycology as a special subject) or in Zoology (with Entomology as special subject) of a recognised University or equivalent. (ii) 10 years' research experience in the field of Plant Pathology (preferably in Forest insects), as evidenced by published papers. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Pucblic Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Doctorate in Mycology or Plant Pathology (with experience in Forest Pathology and Plant Protection)for Doctorate in Entomology (with experience in Plant Protection). (ii) Knowledge of Forestry.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	By promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion : Senior Research Officers (ordinary Grade) at the Forest Research Institute and Colleges with 5 years' regular service in the grade and possessing educational qualification and experience of the nature prescribed under column 8.	Group 'A' Departmental Promotion Committee 1. Chairman/Member. Union Public Service Commission—Chairman. 2. Additional Secretary/ Joint Secretary of the Division Concerned—Member. 3. Technical Head of Division—Member 4. Head of Forest Research Institute and College—Member. 5. Deputy Inspector General of Forests—Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering cases of confirmation) 1. Additional Secretary/ Joint Secretary of the Division concerned—Chairman. 2. Technical Head of the Division—Member 3. Head of the Forest Research Institute and Colleges—Member 4. Deputy Inspector General of Forests—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. The Commission shall also be consulted while amending or relaxing any provision of these rules.

[No. 1-11/77-FRY-I]

G. NAIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1979

सा० का० नि० 1519:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्य बंदरगाहों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मत्स्य बंदरगाहों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मत्स्य बन्दरगाहों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम 1968 में, —

(1) जहां कहीं भी "वर्ग 3 और वर्ग 4" और "वर्ग 3" तथा "वर्ग 4" शब्द और अंक आए हैं उनके स्थान पर क्रमशः "समूह ग और समूह घ", "समूह ग" और "समूह घ" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

(2) अनुसूची में, मेकानिक पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने—

(क) स्तम्भ 4 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"260-6-290-ई० रो० -6-326-8-366-ई० रो०-8-390-10-400 रु०"

(ख) स्तम्भ 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

"आवश्यक

मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।

वांछनीय :

अवमृदा बेधक उपस्करों के संभालने में कम से कम एक वर्ष का अनुभव और अवमृदा वर्गीकरण का ज्ञान।"

[सं० 11-10/78 मा० (प्रशा०)]

जे०पी० भटनागर, अवर सचिव

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 5th December, 1979

G.S.R. 1519.—In exercise of the powers confirmed by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Pre-Investment Survey of Fishing Harbours (Class III & Class IV posts) Recruitment Rules, 1968 namely :—

1. (1) These rules may be called the Pre-Investment Survey of Fishing Harbours (Group 'C' & Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-Investment Survey of Fishing Harbours (Class III & Class IV posts) Recruitment Rules, 1968,—

(1) For the words and figures 'Class III and IV' and 'Class III' and 'Class IV' wherever they occur, the words and letters, 'Group C and Group D', 'Group C' and 'Group D' shall, respectively be substituted.

(2) In the schedule against serial No. 6, relating to the post of Mechanic,—

(a) In column 4, for the existing entry the following entry shall be substituted namely :—

"Rs. 260-6-290-EB-326-8-366-EB-8-390-10-400"

(b) In column 7 for the existing entry the following entry shall be substituted, namely :—

"Essential

Matriculation or equivalent.

Desirable

At least one year's experience in handling sub-soil boring equipments and knowledge of sub-soil classification."

[No. 11-10/78-Fy(Adm.)]

J. P. BHATNAGAR, Under Secy.

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1979

सा० का० नि० 1520.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम बाण सागर नियंत्रण बोर्ड (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

क्रम सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कार्यालय अधीक्षक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	550-20-650-25-750 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2.	ज्येष्ठ नक्शानवीस	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	425-15-500-दo रो०-15-560-20-700 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	आशुलिपिक	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	330-10-380-दo रो०-12-500-दo रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग में सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों की जिसके न हो सकने पर ऐसे सहायकों/प्रधान लिपिकों की, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर ली है, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	ऐसा ज्येष्ठ नक्शानवीस/या नक्शानवीस की जिसने मध्य प्रदेश राज्य सरकार (सिंचाई विभाग) की तीन वर्ष सेवा कर ली है, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	मध्य प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग से आशुलिपिक की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	सात	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	मध्य प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग में सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	निम्न श्रेणी लिपिक	छह	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	260-6-290-द०रो०-6-336-8-368-द०रो०-8-390-10-400 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच।	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) टंकण में न्यूनतम 30 शब्द की गति। परन्तु : (क) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पास टंकण में उपर्युक्त अर्हता नहीं है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वह अपने वेतनमान में वृद्धि प्राप्त करने का या उस श्रेणी में स्थायीकृत् घोषित किए जाने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति अर्जित नहीं कर लेता । (ख) ऐसे किसी विकलांग व्यक्ति को जो लिपिक पद धारण करने के लिए अन्यथा रूप से अर्ह है किन्तु उसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि विकलांग के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न बोर्ड और जहां ऐसा बोर्ड नहीं वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उक्त विकलांग व्यक्ति ऐसी उपयुक्त दशा में नहीं है कि वह टंकण करने के योग्य हो सके ।

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(क) 90% प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 10% रिक्त स्थान समूह 'घ' कर्मचारियों में से भरे जाएंगे जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) 90% मध्य प्रदेश सरकार (सिंचाई विभाग) में सदृश पद धारण करने वाले उपयुक्त अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) (ख) 10% रिक्त स्थान नियमित स्थापन के समूह 'घ' कर्मचारियों में से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भरे जाएंगे, अर्थात् :— (1) चयन ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों तक सीमित विभागीय परीक्षा की मार्फत किया जाएगा जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) इस पद्धति से भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी एक वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिकों के काडर में होने वाले रिक्त स्थानों से 10% तक सीमित होगी। न भरे गए रिक्त स्थानों को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (3) इस परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) होगी ; और (4) समूह 'घ' में कम से कम पांच वर्ष की सेवा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मेस्टटेनर आपरेटर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	210-4-250-द०रो०-5-270 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	मध्य प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग में समतुल्य या सदृश पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके पास गेस्टेटनर अनु-लिपिकरण मशीन चलाने की अर्हता और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7	8
7	चपरासी	पांच	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण
8.	चौकीदार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9.	माली और पानी वाला	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	मध्यप्रदेश राज्य सिंचाई विभाग के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जिनके पास स्तंभ 8 में बताई गई अर्हता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	मध्य प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग के अधीन सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	मध्य प्रदेश राज्य सिंचाई विभाग के अधीन सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[1/79—सं० 19/14/78-वि० का० दो/परि०भार]

एस० डी० चोपड़ा, अवर सचिव

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 7th December, 1979

G.S.R. 1520.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group C and Group D posts in the Bansagar Control Board, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Bansagar Control Board (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living; has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government form time to time in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Office Superintendant	One	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 550-20-650-25-750	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	Transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts in the Madhya Pradesh State Irrigation Department failing which of Assistants/ Head-clerks with three years regular service in the post under Madhya Pradesh State Irrigation Department (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Senior Draftsman	One	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3.	Stenographer	Two	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Not applicable	Not applicable
4.	Upper Division Clerk	Seven	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation of Senior Draftsman/or Draftsman with three years service of the State Government of Madhya Pradesh (Irrigation Department). (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation of Stenographer from Madhya Pradesh State Irrigation Department. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation of suitable officers holding analogous posts in Madhya Pradesh State Irrigation Department. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Lower Division Clerk.	Six	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	Not applicable	Between 18—25 years	(i) Matriculation or equivalent. (ii) Minimum speed of 30 words per minute in typewriting : provided :— (a) Person not possessing the above qualification in typing may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible to draw increments in the pay scale or for quasi-permanancy declaration in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typing.

1	2	3	4	5	6	7	8
							(b) A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Board attached to the special employment exchange for the handicapped and where there is no such Board the Civil Surgeon certificate that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	(a) 90% by transfer on deputation, failing which by direct recruitment. (b) 10% of vacancies to be filled from amongst Group 'D' employees, failing which by direct recruitment.	(a) 90% by transfer on deputation from amongst suitable officers holding analogous posts under the Madhya Pradesh Government (Irrigation Department). (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years). (b) 10% of the vacancies to be filled from amongst the Group 'D' employees borne on regular establishment subject to the following conditions namely :— (i) Selection would be made through a departmental examination confined to such Group 'D' employees who fulfil the requirements of minimum educational qualifications viz. Matriculation or equivalent of a recognised University/ Board; (ii) The maximum number of recruits by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occuring in a year, unfilled vacancies in any year shall not be carried forward to the next year; (iii) The maximum age of appearing in this examination shall be 45 years (50 years for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes Candidates); and (iv) At least five years' service in Group 'D'.	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Gestetner Operator	One	General Central Service, Group 'D'	Rs. 210-4-250-EB-5-270	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7.	Peon	Five	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	Between 18—25 years	Eighth Standard pass.
8.	Chowkidar	One	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	Not applicable	Not applicable
9.	Mali-cum-Water boy	One	General Central Service, Group 'D'	Rs. 196-3-220-EB-3-232	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Transfer on deputation of persons holding equivalent or analogous posts in the Madhya Pradesh State Irrigation Deptt. who possess qualification and experience to operate Gestetner duplicating machine. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Two years	By transfer on deputation, failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation of Group 'D' employees of the Madhya Pradesh State Irrigation Department who possess qualification stated in column 8. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years.)	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Persons holding analogous posts under the Madhya Pradesh State Irrigation Department. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Persons holding analogous posts under the Madhya Pradesh State Irrigation Department. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Not applicable	Not applicable

[1/79—No. 19/14/78—DW-II/P. IV]

L. D. CHOPRA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1979

सा०का०नि० 1521.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 123 के खण्ड (एम) से (ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम पत्तन के न्यासी-मण्डल द्वारा निर्मित विशाखापत्तनम पत्तन गोदी विनियम, 1967 में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त विनियमों के विनियम 113(घ) में संशोधन जो आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के 22 जून, 1978 और 29 जून, 1978 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ,

(ii) उक्त विनियमों के विनियम 113(घ) की शर्त संख्या (14) में संशोधन जो आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के 17 अगस्त, 1978 और 24 अगस्त, 1978 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

[पी०जी०एल० 62/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 15th December, 1979

G.S.R. 1521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the following amendments to the Visakhapatnam Port Dock Regulations, 1967, made by the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam in exercise of the powers conferred by clauses (m) to (o) of section 123 read with sub-section (2) of section 124 of the said Act, namely :—

(i) amendment to regulation 113(D) of the said Regulations and published in the Andhra Pradesh Gazette dated the 22nd June, 1978 and the 29th June, 1978;

(ii) amendment to condition No. (xiv) of regulation 113(D) of the said Regulations and published in the Andhra Pradesh Gazette dated the 17th August, 1978 and the 24th August, 1978.

[PGL-62/78]

सा०का०नि० 1522.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् के दिन से, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 57(ई०), तारीख 31 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1 की उपमद (vi) और उसके सामने स्तम्भ (1), (2) और (3) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"(vi) समुद्र पार व्यापार और नौपरिवहन में लगी धुनी देशी नौकाएं ।	0.90 रु०	यह देय पत्तन में प्रत्येक प्रवेश पर संदेय है ।"

[फा० सं० पी०जी०आर० 40/79]
सुदर्शन वसुदेव, उप सचिव

G.S.R. 1522.—In exercise of the powers confered by sub-section (1) of section 33, read with section 34, of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby directs that, with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 57(E), dated the 31st January 1978, namely :—

In the Schedule to the said notification, in item I, for sub-item (vi) and the entries appearing under columns (1), (2) and (3) relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"[vi] Dhunies and Country Boats engaged in overseas trade and navigation	Rs. 0.90	This due is payable on each entry into the port."

[F. No. PGR-40/79]
S. VASUDEV, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1979

सा०का०नि० 1523.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा नागर विमानन विभाग (श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली, 1969 में संशोधन करने के लिए और निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों को नागर विमानन विभाग (ग्रुप क तथा ख पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन विभाग (श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 पद) भर्ती नियमावली 1969 की अनुसूची में —

(i) कालम शीर्षक (6) के बाद निम्नलिखित कालम शीर्षक जोड़ दिया जाए ; अर्थात् :—

"6 क. क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत सेवा के परिवर्धित वर्ष का लाभ ग्राह्य है ।"

(ii) विमान निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं० 47 और उससे संबद्ध इंदराजों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और इंदराज प्रतिस्थापित किए जाएं :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के परिवर्धित वर्ष का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
"47 विमान निरीक्षक	23	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क" तथा "ख" राजपत्रित	रु० 700-40-900-इ०रो०-40-1100-50-1300	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल योग्य)	नहीं	अनिवार्य : (क) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा गणित विज्ञान एक मुख्य विषय के साथ स्नातक डिग्री. या समतुल्य। (ii) विमान अनुरक्षण इंजीनियरी के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। या (ख) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/वैद्युत/वैमानिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समतुल्य। (ii) विमान अनुरक्षण इंजीनियरी के क्षेत्र में अथवा विमान इंजन या विमान उपस्कर निर्माण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1. अन्यथा यथेष्ट रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर उनके अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी स्टेज पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए न समुदायों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछित : बहुल-इंजन वाले विमान का अथवा ऐसे विमान में लगे पावर प्लांट या उपस्कर का व्यवहारिक अनुभव।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विनिर्दिष्ट आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होती है	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में ऐसे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित हो	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	प्रत्येक परिस्थितियां जिसके अंतर्गत भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना अपेक्षित हो
8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती ; 50% सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक विमान निरीक्षक और पांच श्रेणियों अर्थात् ए० बी० सी० डी० तथा एफ० में से दो श्रेणियों का चालू वि० अनु० इंजीनियरी लाइसेंसधारी । टिप्पणी : जिन उम्मीदवारों ने पदोन्नति के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके मामले में लाइसेंस संबंधी शर्त में छूट दी जाएगी।	1. ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति में (पदोन्नति के विचार के लिए) निम्नलिखित होंगे :— 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य—अध्यक्ष 2. मंत्रालय का सचिव उपलब्ध होने पर अथवा उनकी अनुपस्थिति या व्यस्तता की दशा में सचिव द्वारा नामित मंत्रालय का अधिकारी —सदस्य 3. महानिदेशक नागर विमानन—सदस्य ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए (में सम्मिलित होंगे :— 1. महानिदेशक नागर विमानन—अध्यक्ष 2. उपसचिव, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय —सदस्य 3. उपमहानिदेशक नागर विमानन (सम्बद्ध) —सदस्य 4. उपमहानिदेशक नागर विमानन (प्रशासन) —सदस्य	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा । इन नियमों के प्रावधानों में छूट देने या किसी प्रकार का संशोधन करते समय आयोग से परामर्श किया जाएगा।"

[सं० ए० 12011/3/76-ई० एस० (बी० ई०/एम० एफ० एस०)]

एस० एकाम्बरम्, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th October, 1979

G.S.R. 1523—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Civil Aviation Department (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Civil Aviation Department (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Civil Aviation Department (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969,—

(i) after column heading (6), the following column heading shall be inserted, namely :—

"6-a. Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972".

(ii) for serial number 47 relating to the post of Aircraft Inspector and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(A)	7
"47. Aircraft Inspector	28	General Central Service, Group 'A', Gazetted	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants).	No	Essential : A (i) Bachelor's Degree, with Physics or Mathematics as one of the main subjects from a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience in the field of aircraft maintenance Engineering. OR B. (i) Degree in Mechanical/Electrical/Aeronautical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) One year's experience in the field of Aircraft maintenance engineering or in the field of Aircraft engine or aircraft equipment manufacture. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : Practical experience on multi-engined aircraft or power plant or equipment installed on such aircraft.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	50 per cent by promotion failing which by direct recruitment; 50 per cent by direct recruitment.	Promotion : Assistant Aircraft Inspector with 3 years' regular service in the grade and possessing current A.M.E.'s Licenses in two out of the 5 categories, viz., A, B, C, D and X. Note : The condition regarding licences would be relaxable in the case of those who have passed the prescribed departmental examination for promotion.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. The Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary of the Ministry whenever available or in his absence or pre-occupation an officer from the Ministry nominated by the Secretary —Member 3. Director General of Civil Aviation —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering cases confirmation) consisting of :— 1. Director General of Civil Aviation —Chairman 2. Deputy Secretary in the Ministry of Tourism and Civil Aviation —Member 3. Deputy Director General of Civil Aviation (concerned) —Member 4. Deputy Director General of Civil Aviation (Administration) —Member	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission. The Commission shall also be consulted while relaxing or amending any of the provisions of these rules.'

[No. A. 12011/3/76-ES (VE/SFS)]
S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1979

सा० का० नि० 1524.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे बोर्ड सहायक निदेशक (कैरेज एण्ड वैगन) भर्ती नियम, 1975 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम रेलवे बोर्ड सहायक निदेशक (कैरेज एण्ड वैगन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 कहलायेंगे ;

(2) ये 1 जून, 1978 से प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे बोर्ड सहायक निदेशक (कैरिज एण्ड वैगन) भर्ती नियम 1975 की अनुसूची में कालम 4 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "1100 50—1600 रु० (संशोधित) धन 150 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में सहायक निदेशक (कैरेज एण्ड वैगन) के पद से संबंधित कार्यों में दिसम्बर, 1972 में इसके सृजन के समय से निरन्तर वृद्धि देखने में आयी है। तदनुसार यह विनिश्चय किया गया है कि इस पद से सम्बद्ध 1100-50-1600 रु० (संशोधित) वेतनमान के अलावा इस पद के साथ 150 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन भी 1-6-1978 से सम्बद्ध किया जाय। अतः यह निर्णय किया गया है कि रेलवे बोर्ड सहायक निदेशक (कैरिज एण्ड वैगन) भर्ती नियम 1975 में 1 जून, 1978 से भूतलक्षी प्रभाव से तदनुसार संशोधन किया जाय। रेलवे बोर्ड सहायक निदेशक (कैरेज एण्ड वैगन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 को भूतलक्षी प्रभाव लागू करने से किसी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० ई० आर० बी० आई०/1/72/9/3]
के० बालाचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 29th November, 1979

G.S.R. 1524.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution; the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Board Assistant Director (Carriage and Wagon) Recruitment Rules, 1975, namely :—

(1) These rules may be called the Railway Board, Assistant Director (Carriage and Wagon) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force with effect from 1st June, 1978.

2. In the Schedule to the Railway Board Assistant Director (Carriage and Wagon) Recruitment Rules, 1975, in column 4, for the existing entry, the entry "Rs. 1100-50-1600 (Revised) plus a special pay of Rs. 150 per month," shall be substituted.

Explanatory Memorandum

The duties attached to the post of Assistant Director (Carriage and Wagon) in the Ministry of Railways (Railway Board) have shown a steady increase since the time of its creation in December, 1972. It has, accordingly, been decided that over and above the scale of Rs. 1100-50-1600 (Revised) attached to the post, a Special Pay of Rs. 150 per month may be attached to it with effect from 1-6-1978. It has, therefore, been decided to amend accordingly the Railway Board, Assistant Director (Carriage and Wagon) Recruitment Rules, 1975 retrospectively with effect from 1st June, 1978. The interests of no one would be prejudicially affected by the reason of the retrospective effect being given to the Railway Board, Assistant Director (Carriage and Wagon) Recruitment (Amendment) Rules, 1979.

[No. ERBI/72/9/3]

K. BALACHANDRAN, Secy.

Railway Board and ex-officio Jt. Secy. to the Govt. of India

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1979

सा०का०नि० 1525.—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात्, विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व जो भी आपत्तियां या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1979 है।

2. न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 21 में,—

(1) उप-नियम (2) में,—

(क) खण्ड (xiii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(xiii) राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रक्षा बचत स्कीम या किसी अन्य ऐसे कोष में, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय करने के लिए नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से की गई कटौतियां";

(ख) खण्ड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :—

"(xiv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित गृह निर्माण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए मंजूर किए गए उधारों और ऐसे उधारों की बाबत शोध्य ब्याज की वसूली के लिए कटौतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए या अनुमोदित किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन की जाएंगी जो उस सीमा का, जिस तक ऐसे उधार मंजूर किए जा सकते हैं, और ऐसे उधारों पर देय ब्याज की दर का विनियमन करते हैं";

(2) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2-क) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मजदूरी अवधि में किसी कर्मचारी के वेतन से उप-नियम (2) के अधीन की जाने वाली कटौतियों की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी, अर्थात् :—

(i) जहां उप नियम (2) में खण्ड (10) के अधीन ऐसी कटौती पूर्णतः या भागतः सहकारी सोसाइटियों को संदाय के लिए की जाती है वहां ऐसी मजदूरी का 75 प्रतिशत, और

(ii) किसी अन्य मामले में, ऐसे मजदूरी का 50 प्रतिशत :

परन्तु जहां किसी मजदूरी अवधि में किसी कर्मचारी की मजदूरी से उप-नियम (2) के अधीन की गई कटौती की कुल रकम, यथास्थिति, इस नियम के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाती है वहां ऐसे आधिक्य को अगणित कर दिया जाएगा और आगामी मजदूरी अवधि/अवधियों में उतनी किस्तों में वसूल किया जाएगा जितना आवश्यक है।

[सं० एस० 32012(2)/73-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू०)]

अशोक नारायण, उपसचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th December, 1979

G.S.R. 1525.—The following draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of the period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestions which may be received from any person with regard to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Minimum Wages (Central) Amendment Rules, 1979.

2. In rule 21 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950,—

(1) in sub-rule (2),—

(a) for clause (xiii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(xiii) Deductions made with the written authorisation of the employed person for contributions to the National Defence Fund or the Prime Minister's National Relief Fund or to any Defence Savings Scheme approved by the Central Government or to such other Fund as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf";

(b) after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely :—

"(xiv) deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the Central Government, and for the interest due in respect of such loans, subject to any rules made or approved by the Central Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest payable thereon";

(2) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2A) Notwithstanding anything contained in these rules, the total amount of deductions which may be made under sub-rule (2) in any wage period, from the wages of an employee shall not exceed—

(i) 75 per cent of such wages in cases where such deductions are wholly or partlly made for payments to co-operative societies under clause (x) of sub-rule (2) : and

(ii) 50 per cent of such wages in any other case : Provided that where the total amount of deductions which have to be made under sub-rule (2) in any wage period from the wages of any employee exceeds the limit specified in clause (i), or, as the case may be, clause (ii) of this sub-rule, the excess shall be carried forward and recovered from the wages for succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such number of instalments, as may be necessary.

[No. S. 32012(2)/73-WC(MW)]

ASHOK NARAYAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979